HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 12.08.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़खानी करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 21.10.2018 को अभियुक्त त्रिभूवन पुत्र वेदराम निवासी ग्राम गौडी थाना ईशानगर जनपद लखीमपुर खीरी व हाल पता- गौशाला पक्का बाग थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 540/2018 धारा 354क, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 30.05.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 12.08.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 सतेन्द्र कुमार एवं पैरोकार म0का0 कुसुम व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशांत क़ुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।